न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 184/2020(2020/00265)

उनवान : –

1. लालचन्द पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. चन्दगीराम पुत्र लिक्षमण जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. सावित्री पुत्री चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. जमना देवी पुत्री चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. धनपतराम पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. बलवान सिंह पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. राजेन्द्र कुमार पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप सिंह **वादी**

श्री रामजस गढ़वाल **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 18/02/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 56/214 के खसरा संख्या 296 की 4.2360 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 की 3.5160 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/111 की 6.5130 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा तीन का कुल क्षेत्रफल 14.2650 हैक्टेयर बारानी में से 7.1325 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चन्दगीराम के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा लिछमण की खातेदारी हुआ करती थी। लिछमण के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी चन्दगीराम ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी चन्दगीराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदानी संयुक्त [illegible] है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 चन्दगीराम को वादी के दादा लिछमण से विरासत में प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी खतौनी ग्राम मुन्सरी बारानी खाता संख्या 206 से [illegible] उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 2 ता 3 वादी की बहिनें हैं, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्र0 स0 184/2020 लालचन्द बनाम चन्दगीराम आदि अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी लालचन्द पुत्र चन्दगीराम जाति कुम्हार निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 56/214 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी द्वारा सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 2, जमाबंदी खतौनी मुन्सरी बारानी सम्वत 2054 खाता संख्या 206 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 56/214 के खसरा संख्या 296 की 4.2360 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 की 3.5160 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/111 की 6.5130 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा तीन का कुल क्षेत्रफल 14.2650 हैक्टेयर बारानी में से 7.1325 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चन्दगीराम के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 चन्दगीराम व प्रतिवादी सं0 4 ता 6 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 56/214 के खसरा संख्या 296 की 4.2360 हैक्टेयर, खसरा संख्या 297 की 3.5160 हैक्टेयर, खसरा संख्या 414/111 की 6.5130 हैक्टेयर इस प्रकार कुल खसरा तीन का कुल क्षेत्रफल 14.2650 हैक्टेयर बारानी में से 7.1325 हैक्टेयर बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 चन्दगीराम के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी लालचन्द व प्रतिवादी संख्या 1 चन्दगीराम व प्रतिवादी संख्या 4 धनपतराम, प्रतिवादी संख्या 5 बलवान सिंह व प्रतिवादी संख्या 6 राजेन्द्र कुमार को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त [illegible] घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा मुकदमा [illegible] अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:23:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 18/02/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
(जयसिंह) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़